न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 91 / 2017
डालचन्द पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी हरनगर (पालीडांग) तहसील बयाना

.......प्रार्थी

बनाम

1–लक्ष्मण पुत्र चन्दन । जाति जाटव निवासी हरनगर पालीडांग तहसील
2– बनयसिंह पुत्र चन्दन । बयाना भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विरुद्व मुकदमा अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना व मुकदमा मुतफरिक रैवन्यू 62/15 धारा 212 राज.आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 19.2.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 62/15 डालचन्द बनाम लक्ष्मण प्रार्थना पत्र 212 में दिनांक 30.10.17 को वास्ते बहस में नियत थी। दिनांक 30.10.17 को पीठासीन अधिकारी जयपुर गये हुये थे। पेशगार जी द्वारा बिना बहस सुने चुपचाप तारीख बदलकर प्रकरण को आदेश में लगा दिया गया है। जब कि प्रकरण में बहस लगा हुआ था। एसडीओ बयाना का रवैया पक्षपात पूर्ण है। एस.डी.ओ. बयाना से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। एस.डी.ओ.बयाना के यहॉ विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक पक्षकार के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ. बयाना को प्रकरण दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की सहमति को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण को एस.डी.ओ. भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बयाना न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण डालचन्द बनाम लक्ष्मण को न्यायालय एस.डी.ओ. भरतपुर में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना एवं भरतपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **19.2.2018** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official